संख्या- 6/2015/1289/22-4-14-48(70)/94टी0सी0-3

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-09 जनवरी, 2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, आजमगढ के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 29142/नम-5/44/वैल्यूम-4, दिनांक- 11 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2663/22-4-11-48(70)/94टी0सी0-3 , दिनांक 09.12.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार, आजमगढ के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन, जिसकी अनुमोदित लागत रू0 1,15,09,96,000/-(रूपया एक अरब पन्द्रह करोड नौ लाख छियान्नवे मात्र) है, की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रशनगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) अनुमोदित कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अथवा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) प्रायोजना अन्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्चर पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रोयाजना अन्तर्गत कतिपय कार्यमदों यथा किचेन उपकरण, फर्नीचर, हैण्ड मेटल डिटेक्टर, मल्टीजोन फ्रेम डिटेक्टर, सीसीटीवी, एच0टी0 पैनल/एल0टी0पैनल, डीजी सेट, सब स्टेश्न उपकरण, ईपीबीएक्स सिस्टम आदि की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अतः इन मदों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। उक्त कार्य प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होती तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत- महानिरीक्षक कारागार से यह अपेक्षा है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर ही किया जाय।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

(11) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(12) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(13) प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 09.12.2011 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-36/दस/2015, दिनांक 08 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 6/2015/2015/1289(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, आजमगढ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in